पक्षकारों ने न्यायालय को यह सूचित किया कि वह आज भी एक दूसरे से विवाह विच्छेद हेतु सहमत है और याचिका प्रस्तुत करने से आज तक की 6 माह की अवधि में भी उनके द्वारा विवाह विच्छेद के संदर्भ में अपनी दी गयी सहमति वापस नहीं ली गयी है और ना ही उनके बीच में पति पत्नी के रूप में सम्बन्ध पुर्नस्थापित हो पाये हैं। याचीगण के मध्य स्त्रीधन की बाबत कोई लेन देन शेष नही रहा है। इस संदर्भ मे आवेदिका श्रीमती नम्रता डाबरे ने द्वारा अपने साक्ष्य का शपथ पत्र कागज सं0 9बी तथा आवेदक अमरदीप द्वारा अपने साक्ष्य का शपथ पत्र कागज सं0 10बी के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

4. इस संदर्भ में मेरे द्वारा याचीगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने गये तथा पक्षकारों को सुना गया एंव पत्रावली का परिशीलन किया गया।

5. पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हेतु यह याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि पक्षकार याचिका प्रस्तुत करने की तिथि पर एक वर्ष से अधिक अवधि से अलग अलग रह रहे है तथा याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात 6 माह की तिथि बीतने के पश्चात आज द्वितीय मोशन के अवसर पर जब पत्रावली पेश हुई है, इस अवधि में भी उनके मध्य साथ रहने की कोई सम्भावना उत्पन्न नहीं हो पायी है, ना ही इस मध्य उनमें दाम्पत्य पति पत्नी सम्बन्ध पुर्नस्थापित हुए हैं। याची सं01 ने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में कहा है कि उसके व अमरदीप के मध्य किसी प्रकार का कोई लेन देन शेष नहीं है तथा उसने प्रतिकर, समस्त स्त्रीधन, सामान आदि प्राप्त कर लिया है। आज भी पक्षकार न्यायालय के समक्ष विवाह विच्छेद हेतु अपनी सहमति दर्शित कर रहे है। इन परिस्थितियों में जबकि पक्षकारों द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(बी) के अन्तर्गत वांछित सभी शर्तो को पूर्ण किया गया है और न्यायालय के समक्ष ऐसा कुछ नहीं है कि उनके मध्य दुरभि संधि हो। ऐसे में याचिका अन्तर्गत धारा 13बी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश:–

याचिका अन्तर्गत धारा 13(बी) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार की जाती है। परिणाम स्वरूप आवेदिका/याची सं01 श्रीमती नम्रता डाबरे व आवेदक/याची सं02 अमरदीप के मध्य सम्पादित विवाह दिनांकित 27.10.2010 विवाह विच्छेद की डिक्री के द्वारा विच्छेदित किया जाता है।

दिनांक 16.09.2013

(प्रदीप पन्त) 16.09.2013
न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
हरिद्वार।

निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

दिनांक 16.09.2013

(प्रदीप पन्त) 16.09.2013
न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
हरिद्वार।

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रतिलिपि मूल के अनुरूप है।
लिपिक
परिवार न्यायालय, हरिद्वार

113

न्यायालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हरिद्वार ।

उपस्थित :– **श्री प्रदीप पन्त, उच्चतर न्यायिक सेवा,**

वाद सं0 85 सन् 2013.

1. श्रीमती नम्रता डाबरे पत्नी अमरदीप पुत्री पलटू सिंह उम्र 27 वर्ष हाल निवासी ग्राम सहेदवपुर शाहबाजपुर पोस्ट बहादराबाद तहसील हरिद्वार थाना पथरी जिला हरिद्वार।

.....आवेदिका/याची सं01

एंव

2. अमरदीप पुत्र स्व0 सेवाराम उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम बुढाखेड़ा पोस्ट छुटमलपुर जिला हरिद्वार।

.....आवेदक/याची सं02.

धारा 13(बी) हिन्दू विवाह अधिनियम

निर्णय:–

प्रस्तुत याचिका आवेदिका श्रीमती नम्रता डाबरे व आवेदक अमरदीप द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(बी) के अन्तर्गत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हेतु योजित की गयी है।

2. संक्षेप में याचिका में यह कथन किये गये हैं कि याचीगण का हिन्दू रीति रिवाज के अनुरूप दिनांक 27.10.2010 को विवाह हुआ था। यह कि याचीगण विवाहोपरान्त कुछ दिन बुढाखेडा जिला सहारनपुर एंव हरिद्वार में रहे उसके पश्चात याची सं02 याची सं01 को अपने साथ कोरिया ले गया वहां एक साथ मात्र छः महिने ही रहे। याचीगण के मध्य विवाह के बाद से वैचारिक मतभेद हो गये और लड़ाई झगड़ा व क्लह होने लगी जो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गयी जिस कारण याचीगण का एक साथ बतौर पति पत्नी एक छत के नीचे रह पाना असम्भव हो गया है तथा मार्च, 2011 में याची सं01 याची सं02 के पास से अपने मायके आयी और तब से अपने मायके में रह रही है। यह कि याचीगण के रिश्तेदारों व परिवार वालों ने समझाने की काफी प्रयास किया परन्तु याचीगण के मध्य वैचारिक मतभेद व कटुता दूर नही हुई ना ही आपस में सामंजस्य स्थापित हो सका जिस कारण याचीगण एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे एंव याचीगण के मध्य बतौर पति पत्नी के कोई सम्बन्ध स्थापित नही हुए। याचीगण स्वेच्छापूर्वक पूर्वक अपने सम्बन्ध विच्छेद कर एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। पक्षकारों के मध्य कोई दुरभि संधि नहीं है। अतः याचीगण के मध्य हुए विवाह को विवाह विच्छेद की डिक्री के द्वारा विच्छेदित कर दिया जाये।

3. यह याचिका पक्षकारों द्वारा दिनांक 14.03.2013 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत की गयी थी। आज पक्षकार न्यायालय उपस्थित आये और न्यायालय के समक्ष पक्षकारों ने अपने अपने शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए यह दर्शित किया कि वे एक दूसरे से स्वतंत्र सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री लेना चाहते हैं। याचिका प्रस्तुत करने की तिथि पर उनके विवाह को एक वर्ष से अधिक की अवधि तथा उनके पृथक रहते हुए भी एक वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है। आज दिनांक 16.09.2013 को द्वितीय मोशन के तौर पर यह याचिका सुनवाई हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। न्यायालय द्वारा पक्षकारों से, जो कि न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, उनकी सहमति याचिका के संदर्भ में जानने का प्रयास किया गया जिस पर

Rajesh Kumar Yadav
(Advocate)
Distt. & Session Court, Haridwar

Rajesh Kumar Yadav
(Advocate)
Distt. & Session Court, Haridwar

केवल प्रतिलिपि फीस हेतु

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	नोटिस का दिनांक	जारी करने का दिनांक	हस्ताक्षर मुख्य प्रतिलिपिक
02/17.9.13	19.9.13	01-10-13	

W.A.Soo

न्यायालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय हरिद्वार ।

वाद संख्या- 85/13

श्रीमति नम्रता डाबरे बनाम अमरदीप

नोट:- नकल निर्णय की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है ।

कुटुम्ब न्यायालय
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)